निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 ज्येष्ठ 1933 (श0)
(सं0 पटना 239) पटना, शुक्रवार, 27 मई 2011

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

27 मई 2011

सं० एल0जी0-1-09/2011/लेज-107—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 25 मई 2011 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 9, 2011]

बिहार समेकित जाँच–चौकी प्राधिकार अधिनियम, 2011

प्रस्तावना :– वाणिज्य–कर, पर्यावरण एवं वन, परिवहन, उत्पाद और खनन विभागो के लिए बिहार राज्य की सीमाओं से लगे निर्दिष्ट स्थलों पर समेकित जाँच–चौकियों के कार्यकलाप को नियंत्रण और प्रबंधन हेतु बिहार समेकित जाँच–चौकी प्राधिकार की स्थापना और सम्बद्ध विभागों का उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक अन्य सहबद्ध विषयों के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।–(1) यह अधिनियम बिहार समेकित जाँच–चौकी प्राधिकार अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।

(2) यह बिहार के अन्य पड़ोसी राज्यों की सीमाओं पर बिहार सरकार द्वारा स्थापित सभी समेकित जाँच–चौकियों पर तथा राज्य के अन्दर बिहार सरकार द्वारा स्थापित सभी समेकित जाँच–चौकियों पर लागू होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएँ।– जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में–

(क) "नियत दिन" से अभिप्रेत है वह तारीख जबसे धारा–3 की उप–धारा (1) के अधीन प्राधिकार स्थापित हुआ हो;

(ख) "प्राधिकार" से अभिप्रेत है, धारा–3 की उप–धारा (1) के अधीन स्थापित बिहार समेकित जाँच–चौकी;

(ग) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, धारा–3 की उप–धारा (3) के खंड (क) के अधीन नियुक्त प्राधिकार के अध्यक्ष;

(घ) "समेकित जाँच–चौकी" से अभिप्रेत है, कोई सीमा चौकी या सीमा चौकी से भिन्न कोई चौकी जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

(ङ) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है, बिहार सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;

(च) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(छ) "विनियम" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकार द्वारा बनाए गए विनियम;

(ज) "सरकार" से अभिप्रेत है, बिहार सरकार;

(झ) इस अधिनियम में प्रयुक्त वैसे शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं है लेकिन बिहार मूल्य वर्द्धित–कर अधिनियम 2005, केन्द्रीय बिक्री–कर अधिनियम, बिहार प्रवेश–कर अधिनियम, बिहार उत्पाद अधिनियम, बिहार मोटर वाहन नियमावली, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 एवं ऐसे अन्य अधिनियम जो वन संरक्षण तथा इसके रोक–थाम से संबंधित हो, बिहार खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1957, बिहार खनिज (अवैध खनन की रोकथाम भूत्तव, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली 2003, बिहार लघु खनन छूट (Concession) नियमावली, 1972, आयकर अधिनियम 1961, कम्पनी अधिनियम 1956 या इसके अन्तर्गत बनी नियमावली में परिभाषित है के वही अर्थ होंगे जो इन अधिनियमों में इनके प्रति क्रमशः समनुदेशित किये गए हैं।

3. प्राधिकार का गठन।– (1.) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक प्राधिकार की स्थापना की जाएगी, जिसे बिहार समेकित जाँच–चौकी प्राधिकार कहा जाएगा, जो बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से नियत दिन से प्रभावी होगा। वित्त विभाग, बिहार सरकार, का उक्त प्राधिकार पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा।

(2.) प्राधिकार उपर्युक्त नाम से जाना जायेगा, जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर के साथ चल और अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण, प्राप्ति एवं निष्पादन एवं संविदा की शक्तियाँ होंगी एवं उस नाम से वह वाद चलाएगा और उसपर वाद चलाया जाएगा।

(3.) प्राधिकार का गठन निम्नलिखित को मिलाकर किया जायगाः–

(क) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार प्राधिकार के पदेन अध्यक्ष होंगे;

(ख) सदस्य (योजना एवं विकास) तथा सदस्य (वित्त);

(ग) कम–से–कम दो, लेकिन दस से अनधिक पदेन, वैसे सदस्यगण, जो बिहार सरकार के द्वारा बिहार सरकार के विभागाध्यक्ष की पंक्ति से अन्यून पंक्ति के अधिकारियों के बीच से नियुक्त होगें और जो वित्त, वाणिज्य कर, पर्यावरण एवं वन, परिवहन, उत्पाद, खान एवं गृह विभाग का प्रतिनिधित्व करते हों,

(घ) जाँच–चौकी के ऑपरेशन, प्रशासन एवं सुसाध्य बनाने से संबंधित विषयों पर विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तियों में से बिहार सरकार द्वारा नियुक्त अधिक–से–अधिक दो सदस्य ;

(च) एक सदस्य सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक अधिकारी;

(छ) व्यापार तथा उद्योग क्षेत्र से अधिकतम दो सदस्य।

(4.) प्राधिकार का प्रधान कार्यालय, पटना, बिहार में होगा।

4. अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की पदावधि एवं सेवाशर्तें, आदि।–

(1) अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य बिहार सरकार द्वारा नियुक्त होंगे और संगत अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि तक पद धारण करेंगे,

परन्तु, सरकार किसी भी समय अध्यक्ष एवं किसी सदस्य को सेवामुक्त कर सकेगी।

(2) अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन एवं भत्ते और सेवा शर्तें वही होगी जो विहित की जाय।

(3) अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्ते उनकी नियुक्ति के बाद प्रतिकूल ढंग से संशोधित नहीं की जाएगी।

(4) अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के पद की रिक्ति, रिक्ति होने की तिथि से तीन माह के भीतर, भरी जाएगी।

5. प्राधिकार की बैठक।– (1) प्राधिकार वैसे समय एवं स्थान पर बैठक करेगा तथा अपनी बैठकों में कार्य करने से संबंधित ऐसी प्रक्रिया के नियमों (बैठक के कोरम सहित) का पालन करेगा, जो नियमावली में उपबंधित किये गए हों।

(2) यदि किसी कारणवश अध्यक्ष, प्राधिकार की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

6. प्राधिकार के पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी।– (1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के समुचित और प्रभावी निर्वहन के प्रयोजनार्थ, प्राधिकार को यह शक्ति होगी कि वह बिहार सरकार के अनुमोदन पर सदस्य–विभागों से पदाधिकारी एवं कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति के आधार पर उनकी सेवा ले सके।

(2) प्राधिकार द्वारा नियुक्त हरेक पदाधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी ऐसी सेवा–शर्तों के अध्यधीन होगा और उस पारिश्रमिक का हकदार होगा जो अवधारित किया जाय।

(3) इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों के अनुसरण में कार्य करते समय अथवा कार्य करते हुए तात्पर्यित प्राधिकार के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा–21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

7. प्राधिकार के कृत्य।– (1) अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, प्राधिकार को अन्तर्राज्यीय सीमा एवं बिहार राज्य के अन्तर्गत निर्दिष्ट स्थलों पर माल एवं वाहनों को ट्रैक करने हेतु समेकित जाँच–चौकियों को स्थापित करने एवं सुविधाओं का प्रबंध करने की शक्ति होगी।

(2) उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकार निम्न कृत्य कर सकेगा–

(क) समेकित जाँच–चौकी पर राष्ट्रीय उच्च पथ एवं रेलवे को छोड़कर सड़क, टर्मिनल एवं आनुषंगिक भवनों की योजना, निर्माण एवं रख–रखाव;

(ख) समेकित जाँच–चौकी पर संचार, सुरक्षा, माल का चढ़ाव–उतराव (हैंडलिंग) एवं स्कैनिंग उपकरण की योजना, प्राप्ति, स्थापना एवं रख–रखाव;

(ग) आवश्यकतानुसार पार्किंग प्रक्षेत्र, कार्गो एवं माल जाँच यार्ड, भांडागार, बैंक, संचार सुविधाएं, प्रतीक्षालय, विश्रामगृह, दूरभाष सुविधाएं, कैन्टीन, जलपान स्टाल, सार्वजनिक सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं एवं कुछ अन्य सेवाओं, जो आवश्यक हों, के लिए समुचित स्थान एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराना;

(घ) समेकित जाँच–चौकियों पर अपने कर्मचारियों के साथ–साथ अभिनियोजित स्टाफ आवास के लिए आवासीय भवनों का निर्माण;

(ङ) समेकित जाँच–चौकियों पर प्राधिकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त अपने–अपने संविदात्मक उपबंधों के अनुसार विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं के संचालन के लिए कार्यरत एजेंसी, फर्म एवं व्यक्ति विशेष के बीच कार्यों का समन्वय करना और सुसाध्य बनाना;

(च) बिहार सरकार के विभिन्न विभाग जो समेकित जाँच–चौकियों पर तत्समय प्रवृत्त संबंधित विधि के अधीन विभिन्न क्रियाकलापों और कर्त्तव्यों के निर्वहन का जिम्मा लिए हैं, के कार्यों का समन्वय करना और सुसाध्य बनाना;

(छ) ऐसी सभी कार्रवाई करना जो इस अधिनियम के द्वारा उसको प्रदत्त अथवा अधिरोपित किसी शक्ति के प्रयोग करने अथवा किसी कृत्य के निर्वहन करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हो अथवा उसके आनुषंगिक हो;

(ज) प्राधिकार के सर्वोत्तम व्यवसायिक हित में समेकित जाँच–चौकी के किसी अन्य क्रियाकलाप का जिम्मा लेना;

(झ) समेकित जाँच–चौकी पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राज्य पुलिस का सहयोग प्राप्त करना।

(3) इस धारा के अधीन अपने कार्यो के निर्वहन के क्रम में, प्राधिकार भारत सरकार या राज्य सरकार के ऐसे मंत्रालय या विभाग से सलाह कर सकेगा, जिसे वह आवश्यक समझे और साथ ही समेकित जाँच चौकी के सम्यक् विकास एवं सेवाओं की दक्षता मितव्ययिता एवं सुरक्षा का उचित ध्यान रखेगा।

(4) प्राधिकार निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में नियत दिन को और से ऐसी अधिकारिता शक्तियों एवं प्राधिकार का प्रयोग कर सकेगा जो उस तिथि से ठीक पहले प्रयोग किए जाने योग्य था;

(क) जाँच–चौकी पर बिहार सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जानेवाली सेवाओं के बीच तकनीकी क्षमता एवं कार्य चालन क्षमता;

(ख) समेकित जाँच–चौकी द्वारा आम जनता जैसी प्राप्तकर्त्ता की सेवाओं तथा विभिन्न विभाग/मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सेवाओं;

(ग) जाँच–चौकी पर क्रियाशील सरकारी विभागों जैसी प्राप्त होने वाली सेवा एवं आम जनता की जैसी विभिन्न बाह्य सेवा देने वालों और आम जनता के बीच संगतता;

(घ) विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के बीच लागत–साझा–व्यवस्था।

(5) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि–

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की अवज्ञा के लिए प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत करना, या

(ख) किसी व्यक्ति को वैसे कार्य या दायित्व के संबंध में कार्यवाही संस्थित करने के लिए प्राधिकृत करना जो प्राधिकार या उसके पदाधिकारियों या उसके कर्मचारियों के अधीन न हों।

8. आस्तियों एवं दायित्वों का प्राधिकार में निहित होना।– (1) धारा–3 की उप–धारा (1) के अधीन निर्गत अधिसूचना की तिथि को, वैसी समस्त आस्तियाँ, अधिकार, शक्तियाँ, प्राधिकारी, विशेषाधिकार एवं वैसी सम्पत्ति जो चाहे चल और अचल सम्पत्ति, वास्तविक या निजी, मूर्त या निराकार, वर्तमान या आकस्मिक, जिसके अन्तर्गत भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण, कार्य, कार्यशाला, नकद अतिशेष, सुरक्षित पूंजी, सुरक्षित निधि, निवेश, किरायादारी, हानि, ऋण और अन्य सभी अधिकारों एवं हितों जो इस अधिसूचना के निर्गमन के तत्काल पहले, कार्यरत बिहार सरकार के किसी विभाग के समेकित जाँच–चौकी के स्वामित्व में रहा हो; यथा राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्द करे, उक्त सम्पत्तियों का स्वामित्व प्राधिकार में निहित हो जायगा और ऐसा निहितिकरण पूर्व के समस्त ऋण, दायित्व, बाध्यता आदि को भी समाहित किया गया समझा जायगा।

(2) वैसे मामले में, जहाँ सम्पत्ति दूसरे विभागों के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, संबंधित विभागों की सहमति के बाद ही उप–धारा (1) के अधीन अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

(3) धारा–3 की उप–धारा (1) के अधीन अधिसूचना निर्गमन के ठीक पहले लागू सभी संविदा, करार तथा कार्य–व्यवस्था पूर्ववत् लागू रहेगा।

9. प्राधिकार की ओर से संविदा निष्पादन का ढंग।– (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, प्राधिकार किसी तरह की संविदा करने तथा उसे सम्पन्न करने के लिए सक्षम होगा, जो इस अधिनियम के अधीन, इसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

(2) प्राधिकार की ओर से हरेक संविदा, अध्यक्ष या प्राधिकार के वैसे पदाधिकारी द्वारा, जो प्राधिकार द्वारा आम तौर पर या विशेष रूप में प्राधिकृत हों, किया जायेगा और ऐसी संविदा, जो नियम में विनिर्दिष्ट हो, प्राधिकार के आम मुहर के साथ मुहरबंद की जायेगी।

(3) उप–धारा (2) के प्रावधानों के अध्यधीन, संविदा का प्रारूप एवं रीति इस अधिनियम के अधीन विहित रीति से की जायगी।

(4) वैसे संविदा, जो इस अधिनियम के प्रावधानों एवं नियमों के अनुरूप नहीं हो, प्राधिकार के लिए बाध्यकारी नहीं होगी।

10. फीस, किराया आदि भारित करने की प्राधिकार की शक्ति।–प्राधिकार, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विनियमों द्वारा यथा उपबंधित पृथक रूप से हरेक समेकित जाँच–चौकियों के लिए वाहनों की पार्किंग, जब्त मालों को भंडागारण में लाने या अन्य सेवाओं के लिए या जाँच–चौकी के प्रचालन के क्रम में प्रदत्त अन्य सुविधाओं

के लिए फीस या किराया अवधारित और प्रभारित कर सकेगा जो किसी अन्य अधिनियम के अधीन कानूनी उद्ग्रहण न हो।

11. अतिरिक्त प्राप्तियां।— वित्त विभाग वार्षिक बजट आवंटन के माध्यम से जाँच–चौकी पर दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के सृजन, प्रचालन एवं रख–रखाव के निमित्त प्राधिकार को अनुदान एवं ऋण आदि के रूप में निधि उपलब्ध करा सकता है।

12. प्राधिकार की निधि एवं उसका निवेश।— (1) प्राधिकार को अपना स्वयं का कोष स्थापित करने की शक्ति होगी जहाँ प्राधिकार की सभी प्राप्तियाँ जमा की जाएगी और वहाँ से प्राधिकार अपना सम्पूर्ण भुगतान कर सकेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, प्राधिकार को अपने प्रशासकीय व्यय और इस अधिनियम द्वारा अन्य प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए वह रकम खर्च करने की शक्ति होगी जो वह उचित समझे और वैसी रकम प्राधिकार की निधि से किये गये खर्च समझे जायेंगे।

(3) प्राधिकार की निधि में जमा सभी धन का, जिसका उपयोजन उप–धारा (2) में उपबंधित रूप में शीघ्र नहीं होना हो–

(क) भारतीय स्टेट बैंक या अन्य अनुसूचित बैंक या अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों में उन शर्तों के अध्यधीन जमा किया जाएगा जिन्हें सरकार, समय–समय पर, विनिर्दिष्ट करे।

(ख) सरकारी प्रतिभूति में या ऐसी रीति से निवेश किया जाएगा जो विहित की जाय।

13. अधिशेष निधियों का आवंटन।— (1) प्राधिकार, किसी समेकित जाँच–चौकी पर विद्यमान सुविधाओं या सेवाओं के विस्तार या नयी सुविधाओं या सेवाओं के सृजन के प्रयोजनार्थ या किसी प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना से हुई हानि या नुकसान से होने वाले व्यय या प्रतिस्थापन अथवा इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन में हुई भूल–चूक के कारण किसी दायित्व के निष्पादन के प्रयोजनार्थ प्राधिकार, समय–समय पर आरक्षित निधि अथवा निधियों के रूप में इतनी राशि अलग करके रख सकेगा जो वह उचित समझेः

परन्तु प्राधिकार को विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट आरक्षित निधि स्थापित करने की भी शक्ति होगी:

परन्तु और कि प्रत्येक या किसी विनिर्दिष्ट और सामान्य आरक्षित निधि के संबंध में वार्षिक रूप से अलग से रखा गया रकम तथा किसी भी समय उन रकमों का कुल योग उस सीमा से अधिक नहीं होगा जो सरकार द्वारा इस निमित्त, समय–समय पर, नियत किया जाय।

(2) ऐसी आरक्षित निधि या निधियों या डूबंत ऋणों, आस्तियों के मूल्य ह्रास तथा सभी अन्य विषयों, जिनका प्रावधान कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत और सम्मिलित कंपनियों द्वारा सामान्य रूप से किये जाते हैं, को देने के बाद प्राधिकार अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का अतिशेष सरकार की समेकित निधि में जमा कर देगा।

14. लेखा एवं अंकेक्षण।— प्राधिकार समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों का संधारण करेगा तथा लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र सहित लेखा का वार्षिक विवरण तैयार करेगा। अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों के अनुसार इसका अंकेक्षण किया जायगा।

15. प्रत्यायोजन।— प्राधिकार, सामान्य या लिखित रूप में विशिष्ट आदेश से, प्राधिकार के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या किसी पदाधिकारी को आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों एवं सीमाओं के अध्यधीन, यदि कोई हो, अपनी उन शक्तियों एवं कार्यों को इस अधिनियम के अधीन प्रत्यायोजित कर सकेगा (धारा–22 के अधीन शक्तियों को छोड़कर) जिसे वह आवश्यक समझे।

16. आदेशों का अधिप्रमाणन एवं प्राधिकार के अन्य लिखत।— प्राधिकार के सभी आदेश एवं निर्णय, अध्यक्ष या इस निमित्त प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित होगा और प्राधिकार द्वारा निष्पादित अन्य सभी लिखत प्राधिकार की ओर से प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित होगा।

17. सद्भाव में की गई कार्रवाई का संरक्षण।— प्राधिकार या प्राधिकार के किसी सदस्य या पदाधिकारी या कर्मचारी पर, इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बने नियम एवं विनियम के अनुशरण में सदभाव पूर्वक किए गए अथवा इस आशय से किए जाने वाले कार्यों के लिए कोई वाद या अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं की जायेगी।

18. जब्त/अदावाकृत सम्पत्ति की अभिरक्षा और निपटान।—प्राधिकार द्वारा बनाये गये विनियम के अध्यधीन, प्राधिकार, ऐसी किसी संपत्ति, जो विधि के उपबंध के अधीन जब्त की गई हो अथवा प्राधिकार के परिसर

में अदावाकृत पड़ी हो, की खरीद करने वाले व्यक्ति को विधिमान्य हक देकर सुरक्षित अभिरक्षा और निपटारा सुनिश्चित करेगा।

19. सरकार का प्राधिकार को अधिक्रान्त करने की शक्ति।– (1) यदि किसी समय सरकार की यह राय हो कि–

(क) प्राधिकार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अथवा द्वारा अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में असक्षम है;

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकार सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुपालन में या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या द्वारा कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में अनवरत चूक कर रहा है और चूक के फलस्वरूप प्राधिकार की वित्तीय स्थिति या समेकित जाँच–चौकी का प्रशासन अनियमितताओं के कारण चरमरा गई है;

(ग) ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण लोक हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है तो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्राधिकार को, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि, जो छह माह से अधिक न हो, के लिए अधिक्रमित कर सकेगी।

(2) उप–धारा (1) के अधीन प्राधिकार को अधिक्रमित करने की अधिसूचना प्रकाशित होने पर–

(क) अध्यक्ष एवं अन्य सभी सदस्य अधिक्रमण की तिथि से अपना पद इस हैसियत से रिक्त कर देंगे;

(ख) उप–धारा (3) के अधीन जबतक प्राधिकार का पुनर्गठन नहीं हो जाता है, सभी शक्तियों, कार्यों एवं कृत्यों, जिनका प्रयोग अथवा निर्वहन अधिनियम के प्रावधानों के अधीन या द्वारा प्राधिकार द्वारा अथवा प्राधिकार के बदले किया जाता हो, का प्रयोग एवं निर्वहन ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा, जैसा सरकार निदेशित करे; और

(ग) जबतक उप–धारा (3) के अधीन प्राधिकार का पुनर्गठन नहीं हो जाता है, प्राधिकार द्वारा नियंत्रित एवं स्वामित्व वाली सम्पत्ति सरकार में निहित होगी।

(3) उप–धारा (1) के अधीन निर्गत अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण अवधि की समाप्ति पर, सरकार –

(क) अधिक्रमण की अवधि को छह माह से अनधिक ऐसी अवधि हेतु विस्तारित कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे, अथवा

(ख) नयी नियुक्ति द्वारा प्राधिकार का पुनर्गठन कर सकेगी और इस स्थिति में अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, जिन्होंने उप–धारा (2) के खंड (क) के अधीन पद छोड़ा था, नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं माने जायेंगे :

परन्तु, सरकार, अधिक्रमण की समाप्ति के पूर्व, किसी भी समय, चाहे उप–धारा (1) के अधीन मूलतः विनिर्दिष्ट अथवा उप–धारा (1) के अधीन विस्तारित रूप में इस उप–धारा के खंड (ख) के अधीन कार्रवाई कर सकेगी।

(4) उप–धारा (1) के अधीन सरकार अधिसूचना निर्गत कराएगी एवं इस धारा के अधीन की गई कार्रवाई एवं ऐसी कार्रवाई की जाने की परिस्थितियों से संबंधित पूरी रिपोर्ट यथाशीघ्र विधान सभा में प्रस्तुत करेगी।

20. निदेशों को जारी करने की सरकार की शक्ति।– (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकार, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों एवं कृत्यों के निर्वहन में, नीति के प्रश्नों पर, ऐसे निदेश से आबद्ध होगा जो समय–समय पर सरकार द्वारा लिखित रूप में दिया जाय:

परन्तु प्राधिकार को, इस उप–धारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने के पूर्व, यथासाध्य, अपने विचारों की प्रस्तुति का अवसर दिया जाएगा।

(2) कोई प्रश्न नीति का है अथवा नहीं के संबंध में सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

(3) धारा–7 की उप–धारा (2) के खंडों के अधीन किसी कार्य के निर्वहन हेतु सरकार, समय–समय पर, प्राधिकार को निदेश दे सकेगी और प्राधिकार ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा।

21. नियम बनाने की शक्ति।– (1) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशेष कर और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्धित किए जा सकेंगे–

(क) धारा–4 की उप–धारा (2) के अधीन प्राधिकार के अध्यक्ष की एवं अन्य सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें।

(ख) वह रीति जिस रीति से धारा–12 की उप–धारा (3) के खंड (ख) के अधीन प्राधिकार निधि निवेश कर सकेगा;

(ग) कोई अन्य विषय, जो विहित किया गया हो अथवा की जाय।

22. विनियमों को बनाने की शक्ति।– (1) इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने हेतु प्राधिकार, सरकार की पूर्व अनुमोदन से विनियमों को बना सकेगी, जो इस अधिनियम एवं इसके अधीन निर्मित नियमों से असंगत न हों।

(2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित के लिए उपबंधित किए जा सकेंगेः–

(क) प्राधिकार की बैठकों के समय एवं स्थान और धारा–5 की उप–धारा (1) के अधीन ऐसी बैठकों में कोरम सहित कार्य के संचालन में अपनायी जानेवाली प्रक्रिया;

(ख) धारा–6 की उप–धारा (2) के अधीन प्राधिकार द्वारा नियुक्त किए गए पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा–शर्तें और पारिश्रमिक;

(ग) उप–धारा (1) के अधीन प्राधिकार के सामान्य मुहर से मुहरबंद की जानेवाली संविदा, और धारा–9 की उप–धारा (3) के अधीन की जा सकने वाली संविदा का फारम एवं रीति;

(घ) धारा–10 की उप–धारा (1) के अधीन प्राधिकार द्वारा प्रभारित हाने वाली फीस एवं किराया;

(ङ) खोयी हुई सम्पत्ति की अभिरक्षा एवं वापसी और धारा–18 के अधीन हकदार व्यक्ति को खोयी सम्पत्ति की वापसी करवाने संबंधी निर्बंधन और शर्तें।

23. नियमों, विनियमों एवं अधिसूचनाओं को विधान मण्डल में प्रस्तुत किया जाना।– इस अधिनियम के अधीन बना प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम अथवा निर्गत अधिसूचना, यथाशीघ्र विधान मण्डल के समक्ष, जबकि यह चौदह दिनों की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, जिसमें एक सत्र अथवा दो अथवा इससे अधिक उत्तरोत्तर सत्र समाविष्ट हों, रखा जाएगा और यदि ठीक पश्चातवर्ती सत्र के पूर्व सत्र अथवा उक्त उत्तरोत्तर सत्रों में विधान मण्डल, यथास्थिति, नियम, विनियम अथवा अधिसूचना में परिवर्तन करने के लिए सहमत हो अथवा इसपर सहमत हो कि, यथास्थिति, नियम, विनियम अथवा अधिसूचना नहीं बनाया जाय अथवा नहीं निर्गत की जाय, तो नियम, विनियम अथवा अधिसूचना का प्रभाव इसके पश्चात् केवल, यथास्थिति, परिवर्तित रूप अथवा अप्रभावकारी रूप में होगा यद्यपि ऐसा परिवर्तन अथवा बातिलिकरण इस नियम, विनियम अथवा अधिसूचना के अधीन पूर्व में किए गए किसी कार्य की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

24. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।– (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में सामान्य अथवा विशेष आदेश राजपत्र में प्रकाशित करके ऐसे प्रावधान कर सकेगी, जो इस अधिनियम एवं प्रावधानों के दृष्टिकोण से असंगत नहीं हो और ऐसा लगे कि कठिनाई को दूर करने के लिए यह आवश्यक और समीचीन है;

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दो वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश विधान मंडल के समक्ष रखा जायगा।

25. विवादों का निराकरण।– धारा–7 की उप–धारा (2) में वर्णित मामलों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद, बिहार सरकार के सेवा–प्रदाता विभागों के बीच अथवा जाँच चौकी पर सेवा और अन्य सुविधायें प्रदान करनेवाली बाहरी एजेंसियों के बीच अथवा सेवा–प्राप्तकर्ता जैसे सामान्यजन, के बीच उत्पन्न हो, तो ऐसे विवाद प्राधिकार द्वारा न्यायनिर्णीत किए जाएंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

---

27 मई 2011

सं० एल०जी०–1–09/2011/लेज–108—— बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 25 मई 2011 को अनुमत बिहार समेकित जांच चौकी प्राधिकार अधिनियम, 2011 का का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 9, 2011]

THE BIHAR INTEGRATED CHECK-POST AUTHORITY ACT, 2011

AN

ACT

***Preamble**:- To provide for the establishment of the Integrated Check-Post Authority of Bihar for governing and managing the functioning of Integrated Check-posts for the Department of Commercial Taxes, Environment & Forest, Transport, Excise and Mining, at specified points along the borders of the state of Bihar and other allied matters connected there with or incidental thereto pertaining to the concerned departments.*

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty-second year of the Republic of India as follows:-

1. *Short title, Extent and commencement.*— (1) This Act may be called The Bihar Integrated Check Post Authority Act, 2011.

(2) It is applicable to all the Integrated Check-posts set by the Government of Bihar at the border with other neighbouring states of Bihar and all the Integrated Check-posts set by the Government of Bihar within the State.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette appoint.

2. *Definitions.*— In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Appointed day" means, the date with effect from which, the authority is established under sub-section (1) of section-3, by notification issued by the State and Published in the Official Gazette.

(b) "Authority" means the Integrated Check-Post Authority of Bihar established under sub-section (1) of section-3;

(c) "Chairman" means the Chairman of the Authority appointed under clause (a) of sub-section (3) of section-3;

(d) "Integrated Check-post" means any border posts or any other than border posts, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify;

(e) "Notification" means a notification published in the Official Gazette of Government of Bihar;

(f) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(g) "Regulations" means regulations made by the Authority under this Act;

(h) "Government" means Government of Bihar;

(i) Words and expressions used and not defined in this Act but defined in the Bihar Value Added Tax Act, 2005, Central Sales Tax Act, Bihar Entry Tax Act, Bihar Excise Act, Bihar Motor Vehicle Rules, Indian Forest Act, 1927, Wild Life (Protection) Act, 1972 and such other Acts that pertain to Forest Conservation and Protection, Bihar Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, Bihar (Minerals Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules,2003, Bihar Minor Mineral Concession Rule, 1972, Income Tax Act, 1961, Companies Act,1956 or the Rules framed thereunder shall have the meanings respectively assigned to them under those Acts.

3. *Constitution of Authority.*— (1) Commencing with effect from such date as the Government of Bihar may, by notification appoint, there shall be established, for the purposes of this Act, an Authority to be called the Integrated Check-Post Authority of Bihar. The Finance Department of the Government of Bihar will have administrative control over the said Authority.

(2) The Authority shall be known by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract, and shall, by the said name, sue or be sued.

(3) The Authority shall be constituted consisting with the following:-

(a) Principal Secretary, Finance Department, Govt. of Bihar who shall be the ex-officio Chairman of the Authority.

(b) a Member (Planning and Development) and Member (Finance)
(c) not less than two, but not exceeding ten members, Ex-officio, to be appointed by the Government of Bihar amongst the officers, not below the rank of the Head of Department to the Government of Bihar, representing the Departments dealing with Finance, Commercial Taxes, Environment and Forest, Transport, Excise, Mines and Home.
(d) not more than two members appointed by the Government amongst the persons with professional expertise on matters pertaining to operation, administration and facilitation of the check-post.
(e) A Member Secretary-cum-Chief Executive Officer.
(f) not more than two members from trade and industry.

(4) The Authority shall have its head office at Patna, Bihar.

4. *Term of Office, conditions of service, etc. of Chairman and other members.*— (1) The Chairman and Other members shall be appointed by Government of Bihar and shall hold office for the period specified by the notification .

Provided that the Government may terminate at any time the appointment of Chairman and any member.

(2) The salary and allowances payable to and the other terms and conditions of service of the Chairman and other members shall be such as may be prescribed.

(3) The salary, allowances and other conditions of service of the Chairman or of a member shall not be revised to their disadvantage after their appointment.

(4) A vacancy caused to the office of the Chairman or any other member shall be filled up within a period of three months from the date on which such vacancy occurs.

5. *Meetings of the authority.*—- (1) The Authority shall meet at such times and places, and shall observe such rules of procedure with regard to the transaction of business at its meetings (including the quorum at such meetings) as may be provided in the Rules.

(2) If for any reason, the Chairman is unable to attend any meeting of the Authority; any other member chosen by members present at the meeting shall preside over the meeting.

6. *Officers and other employees of Authority.*— (1) For the purpose of proper and effective discharge of its functions under this Act, the Authority shall have the power to avail the services of officers and other employees on deputation from member departments with the approval of government.

(2) Every officer or other employee appointed by the Authority shall be subject to such conditions of service and shall be entitled to such remuneration as may be determined.

(3) All officers and employees of Authority shall, while acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or of any rule made there under, be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

7. *Functions of Authority.*— (1) Subject to the provisions of this Act, the Authority shall have powers to establish and manage the facilities of integrated check-posts for tracking goods and vehicles at designated points along the inter-state borders and within the State of Bihar.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Authority may:-
(a) plan, construct and maintain roads, terminals and ancillary buildings in order to ensure the smooth functioning of an integrated check-post, other than National Highways and Railways;
(b) plan, procure, install and maintain communication, security, goods handling and scanning equipment at an integrated check-post;
(c) provide appropriate space and facilities for parking zones, cargo and goods examination yards, warehouses, banks, communication facilities, waiting halls, rest-rooms, telephone facilities, canteen, refreshment stalls, public conveniences, health services and such other services, as may be deemed necessary;
(d) construct residential buildings for its employees as well as residential accommodation for staff deployed at integrated check-posts;
(e) co-ordinate and facilitate the working of agencies, firms and individuals who have been engaged by it for the operation and maintenance of various services

and facilities at the integrated check posts in accordance with the respective contractual provisions ,for the time being in force;.

(f) co-ordinate and facilitate the working of various Departments of Government of Bihar, who have been engaged at the integrated check-posts to undertake various activities and discharge duties under respective laws, for the time being in force;

(g) take all such steps as may be necessary or expedient for, or may be incidental to, the exercise of any power or the discharge of any function conferred or imposed on it by this Act;

(h) undertake any other activity at the integrated check post in the best commercial interests of the Authority.

(i) seek assistance of State Police to ensure peace and security at an integrated check-post.

(3) In the discharge of its functions under this section, the Authority may consult such Ministry or Department of the Government of India or of the State Government as it deems necessary, and shall have due regard to the development of integrated check-posts and to the efficiency, economy and safety of such service.

(4) The Authority may exercise, on and from the appointed day all such jurisdiction, powers and authority as were exercisable immediately before that date on any matter in relation to:-

(a) technical compatibility and operational compatibility between various departments of Government of Bihar providing services at the check-posts;

(b) service recipients like general public and services provided by various department /ministry through the integrated check-post;

(c) compatibility between various external service providers and service recipients like government departments operating at the check-post and general public,

(d) cost sharing arrangements between different departments/Ministries

(5) Nothing contained in this section shall be construed as-

(a) authorising the disregard by the Authority of any law for the time being in force, or

(b) authorising any person to institute any proceeding in respect of duty or liability to which the Authority or its officers or other employees would not otherwise be subject to.

8. *Assets and liabilities to vest in Authority.—* (1) On the date of notification issued under clause (1) of section 3, all such assets, rights, powers, authorities and privileges and such property movable and immovable, real or personal, corporeal or incorporeal, present or contingent, of whatever nature, including lands, buildings, machinery, equipments, works, workshops, cash balances, capital, reserves, reserve funds, investments, tenancies, losses and book debts and all other rights and interests arising out of such property, as immediately before the issue of that notification, were in the ownership or possession of the existing check posts of any of the departments of Government of Bihar, as the State Government may, in such notification, specify, shall vest in the Authority and such vesting shall also be deemed to include all borrowings, liabilities and obligations of whatever kind then subsisting.

(2) The notification under sub-section (1) shall be issued only after the concurrence of the concerned departments of the Government of Bihar, in case where such properties are owned or controlled by such departments.

(3) All contracts, agreements and working arrangements prevailing immediately before the date of notification issued under clause (1) of section-3, shall continue to be enforced.

9. *Mode of executing contracts on behalf of Authority.—* (1) Subject to the provisions of this section, the Authority shall be competent to enter into and perform any contract necessary for the discharge of its functions under this Act

(2) Every contract on behalf of the Authority shall be made by the Chairman or such officer of the Authority who may be generally or specially empowered in this behalf by the Authority and such contracts as may be specified, in the rules, shall be sealed with the common seal of the Authority;

(3) Subject to the provisions of sub-section (2), the form and manner in which any contract shall be made under this Act shall be such as may be prescribed.

(4) Any contract which is not in accordance with the provisions of this Act and the rules made there under shall not be binding on the Authority.

10. *Power of Authority to charge fees, rent, etc.—* The Authority may with the previous approval of Government, determine and charge such fees or rent, not being a statutory levy under any other Act, as may be provided by regulations, separately for each integrated check-post for the parking of vehicles, warehousing of seized goods, or for any other service or facility offered in connection with the operations of the check-post.

11. *Additional Receipts.—* The Finance Department may through annual budgetary allocations provide funds to the Authority by way of grants, loans etc. for creation, operation and maintenance of various facilities and services at the check-post.

12. *Fund of Authority and its investment.—*(1) The Authority shall have the power to establish its own fund and all receipts of the Authority shall be credited thereto and all payments by the Authority shall be made therefrom.

(2) Subject to the provisions of this Act, the Authority shall have the power to spend such sums as it thinks fit to cover all administrative expenses of the Authority or for purposes authorised by this Act and such sums shall be treated as expenditure out of the fund of the Authority.

(3) All moneys standing at the credit of the Authority which cannot immediately be applied as provided in sub-section (2), shall be-

(a) deposited in the State Bank of India or any such Scheduled bank or banks or other public financial institutions subject to such conditions as may, from time to time, be specified by the Government;

(b) invested in the securities of the Government or in such manner as may be prescribed.

13. *Allocation of surplus funds.—* (1) The Authority may, from time to time, set apart such amounts as it thinks fit, as a reserve fund or funds for the purpose of expanding existing facilities or services or creating new facilities or services at any integrated check post or for purposes of replacement or meeting expenditure arising from loss or damage due to any natural calamity or accident or meeting any liability arising out of any act of omission or commission in the discharge of its functions under this Act:

Provided that the Authority shall also have the power to establish specific reserve fund for specific purposes;

Provided further that the sums set apart annually in respect of each or any of the specific and general reserve fund and the aggregate at any time of such sums shall not exceed such limits as may, from time to time, be fixed in that behalf by the Government.

(2) After making provision for such reserve fund or funds and for bad debts, depreciation in assets and all other matters as are usually provided for by companies registered and incorporated under the Companies Act 1956, the Authority shall pay the balance of its annual net profits to the consolidated fund of the Government.

14. *Accounts and audit.—* The Authority shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the profit and loss account and the balance-sheet. This shall be audited as per rules framed under the Act.

15. *Delegation.—* The Authority may, by general or special order in writing, delegate to the Chairman or any other member or to any officer of the Authority, subject to such conditions and limitations, if any, as may be specified in the order, such of its powers and functions under this Act, (except the powers under section-22) as it may deem necessary.

16. *Authentication of orders and other instruments of Authority.—* All orders and decisions of the Authority shall be authenticated by the signature of the Chairman or any other

member authorised by the Authority in this behalf and all other instruments executed by the Authority shall be authenticated by the signature of an officer of the Authority authorised by it in this behalf.

17. *Protection of action taken in good faith.—* No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Authority or any member or any officer or other employee of the Authority for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or of any rule or regulation made thereunder.

18. *Custody and disposal of confiscated/unclaimed property.—* Subject to such regulations as the Authority may make in this behalf, the Authority shall provide for securing the safe custody and disposal of any property thereby giving valid title to the person who has purchased it, which is confiscated under any provision of law or is found unclaimed lying on any premises belonging to the Authority.

19. *Power of Government to supersede Authority.--* (1) If, at any time, the Government is of opinion-

(a) that the Authority is unable to discharge the functions and duties imposed on it by or under the provisions of this Act; or

(b) that the Authority has persistently defaulted in complying with any direction issued by the Government under this Act or in the discharge of the functions and duties imposed on it by or under the provisions of this Act and as a result of default the financial position of the Authority or the administration of an integrated check-post has deteriorated;

(c) that circumstances exist which render it necessary in the public interest so to do,

the Government may by notification in the Official Gazette, supersede the Authority for such period, not exceeding six months, as may be specified in the notification.

(2) Upon the publication of a notification under sub-section (1) superseding the Authority-

(a) Chairman and all other members shall, as from the date of supersession, vacate their offices as such;

(b) all the powers, functions and duties which may by or under the provisions of this Act, be exercised or discharged by or on behalf of the Authority, shall until the Authority is reconstituted under sub-section (3), be exercised and discharged by such person or persons as the Government may direct; and

(c) all property owned or controlled by the Authority shall, until the Authority is reconstituted under sub section (3), vest in the Government.

(3) On the expiration of the period of supersession specified in the notification issued under sub-section (1), Government may-

(a) extend the period of supersession for such further term not exceeding six months, as it may consider necessary, or

(b) reconstitute the Authority by fresh appointment and in such case the Chairman and other members who vacated their offices under clause (a) of sub-section (2) shall not be deemed disqualified for appointment:

Provided that the Government may, at any time before the expiration of the period of supersession, whether as originally specified under sub-section (1) or as extended under this sub-section, take action under clause (b) of this sub-section.

(4) The Government shall cause a notification issued under sub-section (1) and a full report of any action taken under this section and the circumstances leading to such action to be laid before the Legislature at the earliest opportunity.

20. *Power of Government to issue directions.*—(1) Without prejudice to the foregoing provisions of this Act, the Authority shall, in the discharge of its functions and duties under this Act, be bound by such direction on questions of policy as the Government may give in writing to it from time to time;

Provided that the Authority shall, as far as practicable, be given opportunity to express its views before any direction is given under this sub-section.

(2) The decision of the Government, whether a question is one of policy or not shall be final.

(3) The Government may, from time to time issue directions to the Authority regarding the discharge of any functions by it under the clauses of sub-section (2) of section-7 and the Authority shall be bound to comply with such directions.

21. *Power to make rules.*— (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for-

(a) the other conditions of service of Chairman and other members of the Authority under subsection (2) of Section-4;

(b) the manner in which the Authority may invest the funds under clause (b) of sub-section (3) of section-12;

(c) any other matter which is to be, or may be, prescribed.

22. *Power to make regulations.*— (1) The Authority may, with the previous approval of the Government, make regulations not inconsistent with this Act and the rules made there under for the purpose of giving effect to the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for –

(a) the time and places of meetings of the Authority and the procedure to be followed for transaction of business including the quorum at such meetings under sub-section (1) of section-5;

(b) the conditions of service and the remuneration of officers and other employees to be appointed by the Authority under sub-section (2) of section-6;

(c) the contracts which are to be sealed with the common seal of the Authority under sub-section (1), and the form and manner in which a contract may be made by the Authority under subsection (3) of section-9;

(d) the fees and rent to be charged by the Authority under sub-section (1) of section-10;

(e) the custody and restoration of lost property and the terms and conditions under which lost property may be restored to the persons entitled thereto under section-18.

23. *Rules, regulations and notifications to be laid before the Legislature.*— Every rule and every regulation made or notification issued under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions or the successive sessions aforesaid, Legislature agree in making any modification in the rule, or notification, as the case may be, or agree that the rule, regulation or notification, as the case may be, should not be made or issued, the rule, regulation or notification shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule, regulation or notification.

24. *Power to remove difficulties.*— (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by general or special order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions or this Act as appear to it to be necessary or expedient for the removal to the difficulty;

Provided, that no such order shall be made after the expiry of a period or two years from the date of the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, be laid before the Legislature.

25. *Resolution of Disputes.*—If a dispute arises, in respect or matters referred to in section-7 sub-section (2), among departments of Government of Bihar providing services or

between outsourced agencies providing various facilities and services at the check-post or service recipients like general public, such disputes shall be adjudicated by the Authority.

By order o f the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 239-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in